गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक :- 316 /प्रवर्तन जोन–1/2019 दिनांक 29-5-2021

परिशिष्ट–6 प्रपत्र 'ब'/भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट–6–प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

मै0 एम0आर0जे0वी0 कन्सट्रक्शन कम्पनी, पाम रिसोर्टस द्वारा खसरा संख्या– 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1067मि0 व 1068मि0 ग्राम नूरनगर, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग के टावर –डी2, ए2 व जी1 के **आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र** जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। स्वीकृत मानचित्र संख्या–196/जोन–1/जी0एम0पी0/2012–13 दिनांक 17.04.2013, सशांधित स्वीकृत मानचित्र संख्या– 711/जोन–1/14–15 दिनांक 10.02.17 के विरूद्ध किये गये अतिरिक्त निर्माण पर शमन स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26.12.2019 प्रदान की गयी है, के अन्तर्गत आवेदक/विकासकर्ता द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग के टावर –डी2, ए2 व जी1 के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु दिये गये आवेदन/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण क्षेत्रीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25.05.2021 को प्रदान की गई है।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अन्तर्गत **आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र** पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों क्रम संख्या–1 से 17 के अधीन जारी किया जाता है।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–1

CC L. No.22

शर्तें :-

1. विकासकर्ता को संशोधित स्वीकृत मानचित्र मानचित्र सं0-196/जोन-1/जी0एम0पी0/2012-13 दिनांक 17.04.2013, संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या-711/जोन-1/14-15 दिनांक 10.02.2017 एवं शमन मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. स्थल पर सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट प्लान्ट का संचालन सुनिश्चित करते हुये, दिये गये शपथ पत्र दिनांक 30.01.2021 का अनुपालन करना होगा।
3. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा। प्रत्येक वर्ष अग्निशमन अनापत्ति का नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
4. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की क्रियाशील/सुरक्षा का दायित्व स्वयं विकासकर्ता का होगा।
5. समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो प्रतिबन्धों तथा आवेदक/विकासकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा। किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क व प्रधिकरण कोष में जमा किये गये अन्य शुल्कों पर त्रुटिपूर्ण गणना होने की दशा में, देय शुल्क बिना किसी आपत्ति के प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
7. अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन के गठन उपरान्त अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन को सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण विकासकर्ता द्वारा ही किया जायेगा।
8. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
9. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देश एवं MOEF की गाईड लाईनस एवं उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
10. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
11. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
12. ग्रीन एरिया की रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
13. विद्यमान निर्माण में यदि भविष्य में कोई विचलन हुआ पाया जाता है तो उसे शमन कराना होगा।
14. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेंट एक्ट-2010 नियमावली-2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
15. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य सभी प्रकार के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्ड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। पेयजल की व्यवस्था हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
16. विकलांगों हेतु रैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
17. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2021 के साथ मैट्रो सैस एवं एलीवेटिड रोड सैस के मद में वर्ष-2016 की कुल देयता रू0 94.00 लाख के सापेक्ष रू0 25.00 लाख दि0 20. 05.21 को प्राधिकरण कोष में जमा कर दिये गये है एवं अवशेष धनराशि के सापेक्ष चार पोस्ट डेटेड चैक जो कि रू0 25.00-25.00 लाख के दिनांक 14.06.2021, 28.06.2021, 26.07.2021 व 27.08.2021 प्रस्तुत किये गये है, साथ ही मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार यदि निर्धारित तिथि पर चैक से वसूली नही होती है तो आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र को निरस्त करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता

प्रभारी, प्रवर्तन जोन-1

CC L. No. 23